पाजस्थान सरकार तरासेय विकास एवं आवासन विमाग गमान्य 2014मार्ट जयपुर दिनाक 27 APR 2017

आदेश दिलाफ १४०३२०१२ की आयोजित जयपुर विकॉस प्राधिकरण की दृश्मी बेदस भे प्रस्तन एजंगडा में जोतित रंपयूलेशन व भवन विनियमों के प्रावधातों में संशोधत से प्रस्ताव पट गये थे। जिन प्रस्तावों पर प्राधिकरण की 62वीं बैठक में निशंय किये गये है। इनमें से निह्ता प्राप्धान राज्य के अन्य नगरीय क्षेत्रों में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है --निह्ता प्राप्धान राज्य के अन्य नगरीय क्षेत्रों में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है --निह्ता प्राप्धान राज्य के अन्य नगरीय क्षेत्रों में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है --1 मिश्रित भू--उपयोग एवं व्यवसायिक उपयोग के भूखण्ड पर आवासीय निर्माण भी प्रस्तातित होने पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना--2015 के तहत ई डब्ल्यू एस / एल आई नी अणी-ये आवास / भूखण्ड आरक्ति किये जावे की अनिवार्यका नहीं। होगी।।

राहण अस्टर इतान में परिभि तिराहण पर्दा रास्त जोन अंधवा एग्राकर्व्य प्राप्त प्रवायित दिया जाता है। इन क्षेत्रों से मस्टर जान से उस्तेखित भगुइाय अपयोगों के अतिरिक्त रीक्षणिक स्वास्थ्य सुविधाएँ एवं भीरेज़ गार्डन उप्रलब्ध कराय जाने की अविश्यकता महस्रा की जाती है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जी–2 जोन में शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य गुविधाओं तथा इको–फ्रेन्डली हाउसेज को अनुझेय उपयोग में शौक्षणिक एवं स्वास्थ्य गुविधाओं तथा इको–फ्रेन्डली हाउसेज को अनुझेय उपयोग में शाभिल किये जाने का निर्णय लिया गया है, उसी तर्ज पर उक्त सुविधाएं जिन्न मानदण्डों के साथ राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों में प्रचलित मास्टर खोक की प्रदिधि नियंत्रण पद्टी./ रूरत जोन/एग्रीकर्व्य जीन/जी–2 व जी–3 मेरेग मी मारल काल में उत्ति होत में लागू की जावे –

राकोमिद्र स्थिः नाइश्व्यं खुविधान्यं लिये स्यतद्भा क्षेत्राम्न २ हॅक्ट्रप्रदः एवं तैरिजन राइत २० वर्षे व्यतनानं संत्रभातः ॥ हेक्ट्रप्रदः राद्यराकः इत्यान्ने प्रस्तापित भूमि त्यतन्म १७ मोदर चोड़ी लडक पर स्थित होताः आवस्यक होत्रान् अधिकतम संवर्गद्दन्न २२ प्रतिशानः एफ एअप्र ०.४ व अधिकतम जवाई ८ मीटर अनुज्ञेय हात्रीत

भाषा प्रभाव वायसा के लिये चुततम शेवणल विष्य रसेती हुआ के के कि जी कि ते के बाद के बाद के लिये जातमा शेवणल विष्य जीवणत जाउका 20 भाषा के पर भाष 0.4 में अधिकेलन जात के मुन्द अनुत्राय ताता. विचे काणीय शेव के नाप्टर प्लान में प्रमुख सडको (Major Roads) पर मिशित भू उन्नयोग की पहड़ी प्रस्तवित की जाती है। सामान्यत जडक की चौडाई के बराबर उन्नयोग की पहड़ी प्रस्तवित की जाती है। सामान्यत जडक की चौडाई के बराबर राइपड तक सिश्रित स्पर्यांग अनुत्राय किया जाता है। ऐसी रियति में मुख्य सड़क से लबल हुय भरवर्ष्य भाषा के नुत्रांग के यावसायिक यहआदात जा से मुल जपयोग में तबल हा हुय भरवर्ष्य भाषाक रूप ने व्यक्तायिक यहआदात जा से मुल जपयोग में तबला हुय भरवर्ष्य भाषाक रूप ने व्यक्तायिक यहआदात जा से मुल जपयोग में के वहां हुय भरवर्ष्य भाषाक रूप ने व्यक्तायिक यहआदात जा साम नहीं मिल मान वे व स्वयत्व संवर्ग को जो भी मुखन्ड की जाहराज के अनुरुद्ध भू-जपयोग बात के बाद के किन्न में का से प्रखन्ह की जाहराज के अनुरुद्ध भू-जपयोग का साम से प्रकारणीय का सी मुखन्ड की जाहराज के अनुरुद्ध के जन्म मुद्द का साम से प्रकारणीय का सी मुखन्ड की जाहराज के अनुरुद्ध के जन्म हो मिल

चाराति वरवरहादसियाः च जनवामः के लिये अवन पिनियमों से द्वयमतम क्षेत्रफल (1500) वर्रामोटर सन्दरक की जनवामें सोखाई 24% मोटर निर्धारित (हे जनवित्र गेस मोपदास का लिये अन्दरक की स्वराजन ने 1940) नरामीतर निर्धारित हो। रुसी अकार कह अत्य सन्तरी के

二、新闻的 小子 化学化 上 4

र सोहितम भामि की आवस्यकदा है

 \bigcirc 0 ()

गतियिभि को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से येयरहाउसिंग एवं गोदाम के लिय त्या क क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर व सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 18 भीटर रखे जान का निर्णय लिया। गया है। कुल निर्मित क्षेत्रफल का अधिकतम का प्रतिशत क्षेत्र कार्यालय अन्य संबंधित गतिविधियों के लिये अनुझेय किया जावा। एस भूखण्डा पर सटदवर भवन विनियमों के अनुसार रखा जाना आवश्यक होगा। संवर्डक के अन्द्रज के म आख्वादन प्राप्त होगा यह अनुझेय किया जायेगा। रास गावास अन्य हजाडे के उपयोगा। डेन्द्र नियमानुसार स्वाधित विसारा की आख्र येक होगी तथा सारटर प्लान के अनुसार निधरित युज जोने में अनुहोय होगे।

以的地位研究的地址与

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्गक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

 विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभुद्धि, राजस्थान सरकार।
तिजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य, सचिव, नगरीय विकास विभाग ह प्रमुख शासन संसिद स्वायत्त्र शासन विभाग, जयपुर।
प्रमुख शासन संसिद स्वायत्त्र शासन विभाग, जयपुर।
भी युक्त संदिद स्वायत्त्र शासन विभाग, जयपुर।
निर्देशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
निर्देशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
ताचिव, जयपुर/जायपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/त्राहमूर/अजमेर॥

N 52 4 61 62

(राजेन्द्र सिंह शेखावत संयुक्त शासन सचिव⇔प्र

M

अतिरिक्त मुख्यः नगरः नियोजक

८. जावपुरः अवपुरः/ गायपुरः/ अजनर विकास विकास अगयकरः), जवपुरः/ जायपुरः/ जायपुरः/ 7. मुख्य नगरं नियोजिक, राजस्थान, जयपुरं। 8. सचिव्य, नगरं विकास न्यास समस्त।

्रभू वरिष्ठ्य उम्म शासन संविव् तगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय येवजावि पर अपलोग मिर्य जान हेतु निर्वेशित किया जाता है। 19-रतित मनावनी कि तर्वजन्म

(76)

A STATE OF A